जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी ।

तहसील परिसर, रेवाड़ी मे स्थित कम्प्युटर,फोटोस्टेट एवं अन्य तहसील संबन्धित कार्यो के लिये दो दुकानों को किराए पर देने के लिये खुली बोली छोड़ने बारे नियम एव शर्ते:-

1. कम्प्युटर,फोटोस्टेट एवं अन्य तहसील संबन्धित कार्य के लिये दो दुकान की बोली एक वर्ष के लिये छोड़ी जायेगी। (साइज 12'x 12')
2. बोली मे भाग लेने के लिये पचास हजार रूपये (*refundable)* का ड्राफ्ट जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी के नाम से बतोर रजिस्ट्रेशन/ अग्रिम सिक्योरिटी जमा करवाना होगा।
3. दुकान की बोली 15000/- रूपये प्रति माह किराये से शुरू होगी और जीएसटी सरकार की हिदायत अनुसार अलग से देना होगा। दुकान एक वर्ष के लिये किराये पर दी जायेगी तथा यदि किरायेदार आगे रखने का इच्छुक होगा तो एक वर्ष उपरांत उसे किराये मे 10% बढोतरी के साथ आगामी एक वर्ष के लिये दोनों (किरायेदार एवं परिषद) की सहमति उपरांत कियाए पर दी जायेगी। दोनों मे से किसी की सहमति नही हुई तो उस सूरत मे दुकान को दोबारा से अलोट करने की प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी।
4. सफल बोली दाता द्वारा मौके पर पहली तिमाही किश्त व तीन माह के कुल किराये के बराबर सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी। अगर प्रथम बोलीदाता किश्त व बकाया अमानत राशि जमा नही करवाता है तो जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर दूसरे नंबर के बोलीदाता के नाम बोली छोड़ दी जायेगी। बकाया तिमाही किश्त तीसरे माह के अंतिम सप्ताह मे जमा करवानी होगी। किराया समय पर जमा करवाना होगा अन्यथा सिक्योरिटी राशि जब्त करके अलोटमेंट रद्द कर दी जायेगी और बोली प्रक्रिया दोबारा से अमल मे लाई जायेगी ।
5. बोली स्वीकृत -अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी का होगा। किसी कारणवश बोली अस्वीकृत कर दी जाती है तो उस सूरत मे जमा सिक्योरिटी राशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा।
6. बिजली/पानी /साफ सफाई का प्रबंध दुकान के अलोटी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
7. दुकान दोनों पक्षो द्वारा एक माह के लिखित नोटिस पर खाली की/करवाई जा सकती है एवं दुकान ठेका पूर्ण होने से पूर्व बगैर सुचना दिये स्वयं दुकान खाली करता है तो उसकी जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. अलौटी द्वारा स्टाम्प पेपर पर किराये की शर्तो की अनुपालना हेतु शपथ पत्र देना होगा एवं एक इकरारनामा भी जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी से करना अनिवार्य होगा।
9. अन्य शर्ते मौके पर बताई जायेगी।
10. दुकानों बारे किसी प्रकार का *dispute* होता है तो उपायुक्त एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद का फैंसला अंतिम होगा जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा।

<u>विज्ञापन विवरण :-</u>

तहसील परिसर, रेवाड़ी मे दुकानों के लिए खुली बोली दिनांक 25.7.2024 को प्रातः 11 बजे बाल भवन, रेवाड़ी मे होगी। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन दिनांक 24.7.2024 तक बाल भवन, मॉडल टाऊन, रेवाड़ी कार्यालय मे 10000/- रूपये अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट (जिला बाल कल्याण परिषद, रेवाड़ी के नाम से) के साथ जमा करवाकर भाग ले सकता है। नियम एवं शर्ते कार्यालय web site:wwwdccwrewari.com.पर उपलब्ध है।

Distt. Child Welfare Officer
Rewari